तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/5/19	... 11/06/19 ...
11-06-19	पक्षकारान उपस्थित। प्रति० सं० 4 फौत, के वारिसान अधिवक्ता वादी ने रिकॉर्ड पर लाना चाहते है, किन्तु प्रार्थना पत्र पेश करने का समय चाहा गया है, 12-03-2018 से लगातार समय दिया जाता रहा है। पत्रावली वास्ते अंतिम समय दिनांक 20-08-2019 को पेश हो। SDO, Sojat.
20-08-19	पक्षकारान उपस्थित। प्रति० सं० 4 फौत हो जाने से अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र पेश करने का एक और समय चाहा है। वारिसान प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु समय दिया जाता है, न्याय की दृष्टि से पत्रावली वास्ते दिनांक 04-09-2019 को पेश हो। SDO, Sojat.
04-09-19	अन्याय अनुपस्थित। ... द्वारा न्यायालय में ... निर्णय लिया गया है। ... पत्रावली दिनांक 14-10-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ...
14-10-19 सोनानाथ (वादी सं. 2)	पक्षकारान उपस्थित है, तहसीलदार, सोजत उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र O22R4 R/W O22R9 तथा धारा 151 CPC तथा धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया, साथ ही अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O22R4 R/W O22R9 तथा धारा 151 CPC तथा धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। धारा 5 के तहत प्रार्थना प्रस्तुत करने में देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रति० 4/1 से 4/5 ... प्रतिवादीगण दर्ज किया जाता है। किन्तु 11-03-2016 के पश्चात से ... प्रति हेतु ... समय दिये जाने पर भी ... पेश करना नहीं चाहने से ... प्रति० ... की जाती है। बहस पक्षकारान तथा प्रति० सं० 1 सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, जवाब प्रति० सं० 1 से 3, दस्तावेजात वादीगण PW-1 सुगनासिंह का तहरीरी बयान शपथ-पत्र एवं लगातार—

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पश्चात, प्रस्तुत रिपोर्ट समस्त पत्रावलियों तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 का गहनता पूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादीगण, तहसीलदार सोजत एवं [illegible] को सुनकर मनन किया गया। वस्तुतः खसरा नं. 4410 व 4411 मौजा-सोजत-खण्ड I की भूमि [illegible], सोजत की सार्वजनिक भूमि दर्ज है, जो सार्वजनिक [illegible] (Infractous) हेतु काम में ली जाती है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 RT Act 1955 का स्वीकार [illegible] किया जाता है। अतः [illegible] सोजत की सार्वजनिक भूमि खसरा नं. 4410 व 4411 की भूमि में प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/बाधा उत्पन्न आदि करने से रोका जाता है तथा स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाता है। निर्णय की प्रति [illegible] प्रकरण में लिख दिया जावे। [illegible] पत्रावली [illegible] किया जावे। [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] होवे [illegible] जमा हो। SDO, Sojat.	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 89/10

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मृतक सोहनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह सोलंकी के (उतराधिकारीगण) वारीसान का0मु0 :— मृतक महावीरसिंह के का0मु0:—		1 सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।
1/1 भंवरकंवर पत्नि महावीरसिंह		2 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सोजत।
1/2 विरेन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह		3 अध्यक्ष जरिये नगरपालिका सोजत।
1/3 दशरथसिंह पुत्र महावीरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण—सोजतसिटी पाली।		4 मृतक परबतसिंह के का0मु0 :—
2. सुगनसिंह पीसरान सोहनसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मूथों का वास सोजतसिटी जिला पाली राज0।		4/1 धीरेन्द्र कॅवर पत्नि स्व0 पर्वतसिंह
		4/2 देवेन्द्र सिंह
		4/3 महेशपाल सिंह
		4/4 चन्द्रपाल सिंह
		4/5 रितु कॅवर पि0 पर्वतसिंह जातियान राजपूत सा0 मूथो का बास सोजतसिटी
		5 नरपतसिंह
		6 प्रवीणसिंह पि0 सोहनसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मूथो का वास सोजतसिटी।
		7 प्रेमकंवर पुत्री सोहनसिंह पत्नि हिन्दूसिंह सा0 झूपेलाव हाल मूथो का वास सोजतसिटी
		8 ललिताकंवर पुत्री सोहनसिंह पत्नि परबतसिंह जाति राजपूत निवासी दांतीवाड़ज्ञ जिला जोधपुर (राज0)।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 , बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा तथा दुरूस्ती रेकर्ड बाबत

उपस्थितिः—

1. श्री किशन सोनी एवं श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर श्रीमाली अधिवक्ता प्रति0 सं0 2 व 3
4. श्री श्याम गहलोत अधिवक्ता प्रति0 सं0 4 से 8

—: निर्णय :— दिनांक :— 14.10.2019

अधिवक्ता वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत, घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सोजतसिटी में नगरपालिका का गठन हो रखा है। सोजत क्षैत्र की राजस्व रेकर्ड में दर्ज सरकारी भूमि को समय समय पर आबादी विस्तार के लिए नगरपालिका सोजत द्वारा भूमि ली गई है। प्रतिवादीगण नगरपालिका सोजत द्वारा जरिये तहसीलदार सोजत के श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला कलेक्टर पाली को सोजत नगरपालिका के लिए सोजत क्षेत्र में सोजत की आबादी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

की भूमि को विस्तार के लिए भूमि दिलाने का आग्रह किया। जिस पर सरहद मौजा सोजत चक नम्बर एक के पुराने खसरा नम्बर 423, 423/2, 434, 386, 211/1605 कुल रकबा 87 बीघा 10 बीसवा की भूमि को सोजत कस्बे के विस्तार के लिए न्यायहित में कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित कर राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 6 (42) रेवेन्यू/बी/58/जी.आर./(1) दिनांक 20 अप्रेल, 1961 के अनुसार नगरपालिका सोजत के हक मे सेट अपार्ट की गई। बदल की बिगौड़ी की रकम बिगौड़ी के अनुसार राशि भी तहसीलदार, सोजत ने उस समय जमा कर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सोजत ने अपने पत्रांक रेवेन्यू/582 दिनांक 10 जून 1968 के जरिये पालना हेतु स्वीकृति पत्र प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सोजत के पत्रांक /राजस्व/375 दिनांक 03 अप्रेल, 1968 की पालना में नगरपालिका सोजत को अमल दरामद की कार्यवाही हेतु रूपये 679.12 अक्षरे छः सौ गुणियासी रूपये बारह पैसे जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, राशि जमा की गयी थी तथा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2030–33 में भी इन्द्राज प्रतिवादी नगरपालिका सोजत के नाम का कर दिया गया। लेकिन सेटलमेन्ट के पश्चात जो वर्तमान खातेदारी में नगरपालिका सोजत का नाम इन्द्राज गलती से रह गया। पुराने खसरा नम्बर 423 का नये खसरा नम्बर 4409 बना तथा पुराने खसरा नम्बर 423/2 के नये खसरा नम्बर 4410 व 4411 बने। नये खसरा नम्बर 4409 रकबा 3.80 हैक्टर स्कूल मैदान के नाम दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 4410 व 4411 नगरपालिका के नाम की इन्द्राज होने के बावजूद भी गलती से नये रेकर्ड में गैर मुमकिन पड़त दर्ज कर दी गयी जो सेटलमेंन्ट अधिकारीयो ने अपने अधिकारो के परे कार्य किया है। ऐसा करने का सेटलमेन्ट के अधिकारियो व कर्मचारियो व पटवारियों व अमीनो को कोई अधिकार नही था जो पुनः प्रतिवादीगण को जरिये घोषणा के इस वाद के जरिये इन्द्राज करना न्यायहित में आवश्यक है। साथ ही न्यायपालिका सोजत प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में कराई जानी आवश्यक है। वर्तमान नये खसरा नम्बर 4409 रकबा 3.80 हैक्टर नगरपालिका सोजत प्रतिवादीगण को सेट अपार्ट किये गये पुराने खसरा नम्बर में से ही बनाकर शिक्षा विभाग के स्कूल का मैदान नया रकबा 3.80 हैक्टर दर्ज कर लिया गया तथा राजस्व रेकर्ड के ट्रेस नक्शा जो बनाये हुए है उसके अनुसार ट्रेस नक्शा भी पैमाना व नाप के अनुरूप मेल नही खाते है जिसमे बिना किसी अधिकारिता के गलती से स्कूल के मैदान खसरा नम्बर 4409 को खातेदारी से अधिक सीमांकन ट्रेस नक्शे में बताया गया है। मौके पर जो भौतिक रूप से नाम है उसके अनुसार ट्रेस नक्शे में खसरा नम्बर 4409 का रकबा खातेदार से अधिक बता दिया गया। खसरा नम्बर 4409 गैर मुमकिन स्कूल का मैदान रकबा 3.80 हैक्टर का नाप तथा वास्तविक नाप का तुलनात्मक एक प्रस्तावित नक्शा वादीगण की ओर से इस वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे परिशिष्ट 'क' में खातेदारी के रकबे से अधिक नक्शे को तरमीम हेतु लाल स्याही से मार्क दर्शाया गया है। इस अधिक भूमि को अलग से खसरा नम्बर 4409/1 राजस्व रेकर्ड में जरिये घौषणा के नगरपालिका सोजत के नाम दर्ज करने तथा ट्रेस नक्शे में संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्यथा नगरपालिका सोजत एवं वादी एवं अन्य पक्षकारान के सम्पति के अधिकारो व स्वामित्व बाबत बार बार विवाद उत्पन्न होता है। प्रतिवादीगण नगरपालिका सोजत को जिला कलेक्ट्रर महोदय द्वारा सेट अपार्ट कर भूमि नगरपालिका को सुपुर्द कर दी गई थी और नगरपालिका ने वहां पर समय समय पर राजस्थान सरकार के स्वायत शासन विभाग की आज्ञा व परिपत्र से आवासीय कॉलोनीयों का निमार्ण कर सार्वजनिक निलामी में भूखण्ड निलाम किये गये थे व मौके पर आवासीय मकानात भी पिछले 47 वर्षो से बने हुए है। प्रतिवादी नगरपालिका सोजत से खुली निलामी में भवानीसिंह पुत्र जोरावरसिंह जाति राजपूत ने भूखण्ड संख्या 16 मिसल नम्बर एस.एल.–28/72–73 के जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान दिनांक 13 जनवरी, 1992 को नगरपालिका सोजत से खरीदा तथा इसी प्रकार नगरपालिका सोजत से खुली निलामी में वादीगण के पिताजी स्व0 सोहनसिंह ने भूखण्ड संख्या 17 मिसल नम्बर एस.एल.29/72–73 के जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 13 जनवरी, 1992 को नगरपालिका सोजत से खरीदा। इसी प्रकार नगरपालिका सोजत के खुली लिनामी में प्रतिवादी परबतसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत ने भूखण्ड संख्या 19 मिसल नम्बर एस.एल.–312/72/73 के जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान दिनांक 13 जनवरी, 1992 को प्रतिवादीगण नगरपालिका सोजत से खरीदा था व उसी प्रकार भवानीसिंह पुत्र जोरावरसिंह जाति

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

राजपूत ने भूखण्ड संख्या 20 मिसल नम्बर एस.एल. 32/72–73 के जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान दिनांक 13 जनवरी, 1992 को प्रतिवादीगण नगरपालिका सोजत से खरीदा। सोहनसिंह का स्वर्गवास दिनांक 5 फरवरी 2004 को हो गया। वादीगण सोहनसिंह के उतराधिकारी वारीसान है तथा प्रतिवादी संख्या 4,5,6,7,8 भी स्व0 सोहनसिंह के उतराधिकारी वारीसान है, लेकिन पारिवारिक समझौते में इनका मृतक सोहनसिंह के भूखण्ड सख्या 17 में किसी प्रकार का कोई हक हकूक हिस्सा स्वामित्व अधिकारिता नही रखी, इसलिए उन्हे फौरमल पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है। जो उनके हितो के प्रतिकूल प्रभाव नही डालते है। प्रतिवादी संख्या एक भूमि धारक है, इसलिए उन्हे आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया है। साथ ही जो भूखण्ड वादी ने प्रतिवादीण नगरपालिका सोजत से वादपत्र में उपरोक्त उल्लेखित रजिस्ट्रर्ड बेचान के अनुसार खरीद किये थे। लेकिन नगरपालिका सोजत की शिथिलता के कारण राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती नही होने के कारण वादीगण को परेशान किया जाता रहा है। प्रतिवादीगण नगरपालिका सोजत द्वारा शिथिलता के कारण श्रीमान के न्यायालय में उनके ,द्वारा दुरूस्ती की कार्यवाही नही की गई, इसलिए मजबूर होकर वादीगण ने इस वादपत्र के पूर्व में श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 125 ए, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जो राजस्व विविध प्रकरण संख्या 147/2006 दर्ज हुआ जिसका निर्णय दिनांक 16 जून, 2010 में न्यायालय ने सम्बन्धित का होने के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने वादी की प्रार्थना व दादरसी को दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 के जबाब में स्वीकार किया था। साथ ही प्रतिवादी नगरपालिका सोजत ने भी अपने जबाब दिनांक 19 सितम्बर, 2007 में भी वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया अर्थात खण्डनीय जबाब प्रस्तुत नही किया, क्योकि यह प्रार्थनापत्र प्रतिवादी नगरपालिका सोजत के हित में वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया था लेकिन खारिज किया गया था। इसलिए अब घोषणात्मक वाद के रूप में वाद के जरिये श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बार बार पटवारी हलका सोजत चक प्रथम द्वारा नगरपालिका प्रतिवादीगण की भूमि को राजस्व भूमि बताकर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करने की धमकीया व बेदखली की कार्यवाही करने की चेष्टा की जाती है। इस बाबत वादी को दिनांक 16 जून, 2010 को भी ऐलानिया कहा गया। वादी द्वारा नगरपालिका सोजत को यह वाद प्रस्तुत करने का बार बार आग्रह किया जाता रहा, लेकिन कोई कार्यवाही नही की जा रही है। जिससे ऐसी परिस्थतियो में राजस्व रेकर्ड में ट्रेस नक्शे में खातेदारी के रकबे अनुसार घोषणा के जरिये तरमीम किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है तथा तरमीम किये जाने वाले ट्रेस नक्शे में अतिरिक्त भूमि को खसरा नम्बर 4409/1 तरमीम घोषित किया जाकर नगरपालिका सोजत प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज बतौर खातेदार घोषित किया जाकर प्रविष्टि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है, तथा सेट अपार्ट के आदेश माफिक वर्तमान नये खसना नम्बर 4409/1, 4410, 4411 प्रतिवादी नगरपालिका सोजत के नाम खातेदारी घोषित कर इन्द्राज करवाकर खातेदारी अधिकार प्रतिवादी नगरपालिका सोजत प्राप्त करने की अधिकारी है। जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6,7,8 व अन्य भूखण्डो के खरीददारो के हक स्वामित्व सुरक्षित रह सके। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6,7,8 के हितो को सुरक्षित रखते हुए प्रतिवादीगण नगरपालिका सोजत का भी प्रथम दृष्टया मामला है क्योकि उसके परिपेक्ष्य में ही यह घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। साहूलियत का पलडा भी वादीगण के पक्ष मे है। अगर इस वाद के जरिये घोषणा करके नगरपालिका सोजत के हक में खातेदारी अधिकार घोषित नही किये जायेगे तो वादीगण व अपरिमित क्षति होगी क्योकि वादीगण के खरीदसुदा भूखण्ड है। प्रतिवादी तहसीलदार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6,7,8 के प्रतिवादीगण नगरपालिका सोजत से खुली निलामी से जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीदसुदा भूखण्डो में बार बार बेदखली की धमकीया देकर उनके खरीदसुदा भूखण्डो में बार बाद बेदखली की धमकीयां देकर उनके खरीदसुदा भूखण्डो के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी राजस्व भूमि बताकर करने को आमादा है जबकि ऐसा करने को उनको कोई अधिकार नही है, इसलिए उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है। अगर पाबन्द नही किया गया तो वादी अपने स्वामित्व से महरूम हो जायेगें व प्रतिवादी नगरपालिका सोजत के हक स्वामित्व समाप्त हो जाने से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6,7,8 भी महरूम हो जायेंगे। अतः यह वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का बहक वादी एवं

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4,5,6,7,8 विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 प्रस्तुत किया जा रहा है। विनायदावा दिनांक 16 जून, 2010 को वादी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का खारीज कर दिये जाने के कारण यह वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का अन्दर म्याद प्रस्तुत है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड के ट्रेस नक्शे में खसरा नंबर 4409 में खातेदारी से अधिक रकबे अतिरिक्त भूमि जिसे संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'क' में लाल स्याही से मार्क किया गया है को अलग से खसरा नम्बर 4409/1 नगरपालिका सोजत के नाम खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी इन्द्राज किये जानें तथा पूर्व में सेट अपार्ट आदेश तथा मिसल बन्दोबस्त संम्वत 2030 से 2033 में अंकित पुराने खसरा नम्बर 423/2, 232, 434, 386, 211/1605 जिनके नये खसरा नम्बर 4410, 4411 गैर मुमकिन पड़त राजस्व रेकर्ड से नाम हटाया जाकर घौषणा के जरिये प्रतिवादी नगरपालिका सोजत को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज किया जाने तथा वादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की उनके द्वारा सेट अपार्ट भूमि मे नगरपालिका सोजत से खुली निलामी में खरीदे गये भूखण्डो से बेदखल करने तथा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलान्दाजी, व्यधान, बाधा, अड़चन आदि करने से प्रति0 सं0 1 तहसीलदार सोजत तथा अन्य अधीनस्थ को रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। दिनॉक 20.06.2011 को प्रति0सं001 की ओर से ज0दा0 पेश किया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ख0नं0 4409 गै0मु0 स्कूल मैदान व ख0नं0 4410 व 4411 पड़त दर्ज है। वादी स्वयं सिद्व करें कि वादी का अवैध अतिक्रमण नही है। वर्तमान प्रावधान से ख0रं0 4410 व 4411 की भूमि नगर पालिका में तभी स्थानान्तरित की जा सकती है, जब नगरपालिका उक्त भूमि की DLC दर का 10% प्रतिशत राशि राजकीय कोष में जमा करवावे। नियमानुसार राशि जमा होकर ख0नं0 4410, 4411 नगरपालिका के खाते में हस्तान्तरित किये जाते है, तो राज्य को कोई आपति नहीं होना प्रस्तुत ज0दा0 में अंकित किया है। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 8 मय अधिवक्ता वकालतनामा पेश करने से दिनांक 03.04.2012 को अवसर समाप्त किया जाकर ज0दा0 बन्द किया गया। दिनॉक 08.08.2012 को तनकियात पृथक से कायम की गई, सामिल मिसल है। दिनॉक 27.11.2014 को शहादत वादी सुगनसिंह pw-1 गवाह का तस्दीक सुदा शपथ–पत्र का मुख्य परीक्षण करवाया गया तथा बयान pw-1 गवाह के कलमबद्व करवाये जाकर सामिल मिसल किये गये। अन्य शहादत वादीगण (गवाह) पेश करने हेतु पर्याप्त अवसरो के बावजूद भी अन्य अवसर और दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं होने से दिनॉक 11.03.2016 को अवसर समाप्त किया जाकर शहादत वादी बन्द की गई। तब से लगातार शहादत प्रति0 पेश करने के समय समय पर बार बार अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी शहादत प्रति0 पेश नही करने अर्थात विफल रहने से अवसर समाप्त किया गया तथा शहादत प्रति0 आज बन्द किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रा0 पत्र आदेश 22 नियम 4 तथा आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 मय शपथ एवं धारा 5 मयाद अधिवक्ता मय शपथ–पत्र का पेश किया जाकर प्रतिवादी सं0 4 पर्वतसिंह फौत हो जाने से उनके का0मु0 4/1 विरेन्द्र कॅवर पत्नि4/2 देवेन्द्र सिंह 4/3 महेशपाल सिंह 4/4 चन्द्रपाल सिंह 4/5 रितु कॅवर पि0 पर्वतसिंह को बतौर प्रति0 रेकर्ड पर लिये जाने की ईश्तदुआ की है। हस्ब ईश्तदुआ अधिवक्ता वादीगण धारा 5 मयाद अधि0 स्वीकार किया जाकर देरी को क्षम्य किया गया तथा प्रा0 पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण सं0 4/1से 4/5 को बतौर प्रति0 रेकर्ड पर लिया गया तथा प्रस्तुत संशोधित टाईटल सामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता वादीगण, प्रतिवादी तहसीलदार सोजत एवं वकुलाय प्रति0 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि सोजत कस्बे के विस्तार के लिए राज्य सरकार के आदेश द्वारा नगर पालिका सोजत के हक में दिनांक 30.04.1961 को सेटअर्पाट की गई थी, जिस आदेश की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है व उपखण्ड अधिकारी सोजत ने अपने पत्रांक रेवेन्यू/582 दिनांक 10.06.1968 के जरिये पालना हेतु स्वीकृति पत्र प्रेषित कर उपखण्ड अधिकारी सोजत के पत्रांक राजस्व/375 दिनांक 03.04.1968 की पालना में नगरपालिका सोजत के अमल दरामद की कार्यवाही हेतु रूपये 679.12 रूपये जमा करवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर राशि जमा की गई थी तथा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड मिसल बन्दोबस्त सम्वत्

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

2030–2033 मे भी इन्द्राज प्रतिवादी नगरपालिका सोजत के नाम कर दिया गया। लेकिन सेटलमेंट के पश्चात वर्तमान खातेदारी नगरपालिका सोजत का नाम इन्द्राज गलती से रह गया तथा पुराने खसरा नम्बर 423 के नये खसरा नम्बर 4409 बना तथा पुराने खसरा नम्बर 423/2 के नये खसरा नम्बर 4410 व 4411 बने, नये खसरा नम्बर 4409 रकबा 3.8000 हैक्टर स्कूल मैदान के नाम दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 4410 व 4411 नगरपालिका सोजत के नाम इन्द्राज होने के बावजूद भी गलती से सेटलमेंट अधिकारियों ने नये रेकर्ड पर गैर मुमकिन पड़त में दर्ज कर दिये गये। चूंकि उक्त खसरा नम्बर की भूमि में नगरपालिका सोजत द्वारा राजस्थान सरकार के स्वायत शासन विभाग की आज्ञा एवं परिपत्र से आवासीय कॉलोनीयों का निर्माण का सार्वजनिक निलामी में भूखण्ड निलाम किये थे, तथा मौके पर वादीगण एवं अन्यो के मकान पिछले 47 वर्षो से अधिक समय से बने हुये है। जिसमें नगरपालिका सोजत से खुल्ली निलामी में वादीगण के पिता व अन्यों ने भूखण्ड संख्या 17 मिसल नम्बर एस.एल. 29/1972–73 के जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 13.01.1992 को भूखण्ड खरीदा। इसी प्रकार अन्य व्यक्तियो एवं पर्वतसिंह ने भी नगरपालिका सोजत से भूखण्ड खरीदे, तत्पश्चात सोहनसिंह का स्वर्गवास दिनांक 05.01.2004 को हो गया। वादीगण सोहनलाल के उत्तराधिकारी/वारिसान है, तत्पश्चात वादी संख्या 1 महावीरसिंह का भी स्वर्गवास हो गया है। लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों ने उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि को नगरपालिका सोजत के नाम इन्द्राज नही कर गैर मुमकिन पड़त दर्ज करने से बार–बार पटवारी हल्का सोजत चक प्रथम द्वारा नगरपालिका सोजत की भूमि को राजस्व भूमि बताकर धारा 91 की कार्यवाही करने की धमकियां एवं वादीगण को बेदखल करने की कार्यवाही करने की धमकियां व हैरान एवं परेशान किया गया, जिस पर वादीगण द्वारा उक्त वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा वादस्थ कृषि भूमि को नगरपालिका सोजत के नाम इन्द्राज करवाने हेतु प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा अपने वाद में पैरा संख्या 6 में ईस्तदूआ क,ख,ग,च चाही गई है। उसके पश्चात उक्त पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु मुकर्रर है, जिस पर अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार की ओर से कार्यालय जिला कलेक्टर पाली ने सोजत राजकीय सिवाय चक भूमियों जिसमें आबादी बसी हुई है, पर मुख्य सचिव महोदय नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत प्रशासन विभाग जयपुर के आदेशानुसार उक्त कृषि भूमियों को निर्धारित राशि राज्य सरकार को अदा किये जाने पर प्रस्ताविक भूमि नगरपालिका सोजत को हस्तानान्तरण करने के आदेश भी जारी हो चुके है, जिस आदेश में सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 4410, 4411 की भूमि आबादी में नगरपालिका के नाम करने के आदेश हुए है, इसलिए वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में जो इस्तदुआ चाही गई है, उसी के संबंध में उक्त आदेश जिला कलेक्टर पाली द्वारा दिनांक 09.05.2013 को पारित हुए है, जिस आदेश की प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसकी पालना में उक्त आदेश को रेकर्ड पर लिया जाकर वाद में अग्रिम कार्यवाही किये जाने की ईश्तदुआ की है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने बहस में यह भी व्यक्त किया कि चूँकि विवादग्रस्त ख0नं0 4410 व 4411 की भूमि अर्थात ना0सं0 3746 निर्णय दिनॉक 14.09.2014 न्यायालय आदेश के अनुसार मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित ख0नं0 2047, 4410, 4411, 4416, 4592, 4597 व 6225 कुल किता 7 रकबा 04=45 हैक्टर की भूमि नगरपालिका सोजत के नाम दर्ज हो चुकी है। फलस्वरूप अधिवक्ता मय वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्व प्रति0 सं01 इस आशय की जारी किये जाने की कि उक्त विवादित नगरपालिका सोजत की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी/बाधा/अड़चन आदि करने से प्रति0 सं0 1 को रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत वाद–पत्र, ज0दा0 प्रति0सं0 1 से 3 की ओर से तहसीलदार सोजत दिनॉक 20.06.2011, शहादत वादीगण pw-1 सुगनसिंह का तस्दीक सुदा शपथ–पत्र एवं कलमबद्व करवाये गये बयानात् तथा प्रस्तुत पूर्वोक्त समस्त दस्तावेजात तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादीगण एवं तहसीलदार, सोजत एवं वकुलाय प्रति0 पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः नगरपालिका सोजत के नाम विवादग्रस्त भूमि सरहद मौजा सोजत चक । की खसरा नम्बर 4410 व 4411 की भूमि दर्ज हो चुकी है। फलस्वरूप वाद पत्र में वर्णित ईश्तदुआ पैरा सं0 6–क

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

घोषणानात्मक है, प्रभावशून्य (Infractous) हो जाने से खारिज किया जाना उचित समझते है। फलस्वरूप अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत आंशिक रूप से वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता कि नगरपालिका सोजत के नाम दर्ज खातेदारी भूमि ख0नं0 4410 व 4411 में किसी प्रकार की दखलंदाजी/बाधा/अड़चन आदि करने से रोका जाकर प्रति0 सं0 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाकर पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आंशिक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा—सोजत प्रथम में स्थित ख0नं0 4410 व 4411 की भूमि से सम्बद्व वाद पत्र में वर्णित पैरा सं0 6—क घोषणात्मक है, प्रभावशून्य (Infractous) हो जाने से खारिज की जाती है। फलस्वरूप अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। आशिंक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सं0 1 इस अमर की सादिर की जाती है कि नगरपालिका सोजत के नाम दर्ज खातेदारी भूमि ख0नं0 4410 व 4411 में किसी प्रकार की दखलंदाजी/बाधा/अड़चन आदि करने से रोका जाकर प्रति0 सं0 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब होकर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बईजलाश श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

वादीगण		बनाम	प्रतिवादीगण
1.	मृतक सोहनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह सोलंकी के (उतराधिकारीगण) वारीसान का0मु0 :– मृतक महावीरसिंह के का0मु0:–	1	सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।
1/1	भंवरकंवर पत्नि महावीरसिंह	2	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सोजत।
1/2	विरेन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह	3	अध्यक्ष जरिये नगरपालिका सोजत।
1/3	दशरथसिंह पुत्र महावीरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण–सोजतसिटी पाली।	4	मृतक परबतसिंह के का0मु0 :–
2.	सुगनसिंह पीसरान सोहनसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मूथों का वास सोजतसिटी जिला पाली राज0।	4/1	धीरेन्द्र कॅवर पत्नि स्व0 पर्वतसिंह
		4/2	देवेन्द्र सिंह
		4/3	महेशपाल सिंह
		4/4	चन्द्रपाल सिंह
		4/5	रितु कॅवर पि0 पर्वतसिंह जातियान राजपूत सा0 मूथो का बास सोजतसिटी
		5	नरपतसिंह
		6	प्रवीणसिंह पि0 सोहनसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मूथो का वास सोजतसिटी।
		7	प्रेमकंवर पुत्री सोहनसिंह पत्नि हिन्दूसिंह सा0 झूपेलाव हाल मूथो का वास सोजतसिटी
		8	ललिताकंवर पुत्री सोहनसिंह पत्नि परबतसिंह जाति राजपूत निवासी दांतीवाड़ज्ञ जिला जोधपुर (राज0)।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 , बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा तथा दुरूस्ती रेकर्ड बाबत

मु0नं0 :– राजस्व वाद संख्या :– 89/2010

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री किशन सोनी व कैलाश दवे अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आंशिक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा–सोजत प्रथम में स्थित ख0नं0 4410 व 4411 की भूमि से सम्बद्व वाद पत्र में वर्णित पैरा सं0 6–क घोषणात्मक है, प्रभावशून्य (Infractous) हो जाने से खारिज की जाती है। फलस्वरूप अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। आशिंक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 इस अमर की सादिर की जाती है कि नगरपालिका सोजत के नाम दर्ज खातेदारी भूमि ख0नं0 4410 व 4411 में किसी प्रकार की दखलंदाजी/बाधा/अड़चन आदि करने से रोका जाकर प्रति0 सं0 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14.10.2019 को जारी की गई।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
(जिला–पाली)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned by CamScanner